



2026:AHC-LKO:11444

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 81 / 2026

राजेन्द्र नाथ मिश्रा उर्फ लालता प्रसाद मिश्रा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दया शंकर तिवारी, आदित्य पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दया शंकर तिवारी के वाद-धारक श्री अनुराग द्विवेदी, अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय को सुना।
2. जनहित में दायर इस तत्काल याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी दलों को ग्राम-रचोरा, ब्लॉक, परगना और तहसील-सदर, बलरामपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या 1064 (क्षेत्रफल 0.0970 हेक्टेयर), 1065 (क्षेत्रफल 0.0650 हेक्टेयर), 1068 (क्षेत्रफल 0.0320 हेक्टेयर), 1069 (क्षेत्रफल 0.0320 हेक्टेयर) और 1071 (क्षेत्रफल 0.0530 हेक्टेयर) पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार, सदर, बलरामपुर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202608100101431, टी202608100101432, टी202608100101433 और टी202608100101435 द्वारा कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।
4. तदनुसार, इस याचिका को इस निर्देश सहित निस्तारित किया जाता है कि उपरोक्त वाद संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



टी202608100101431, टी202608100101432, टी202608100101433 और
टी202608100101435 में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने के लिए
प्रारंभ की गई कार्यवाही को विधि के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, तत्परतापूर्वक संपन्न
किया जाए।

13 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।